…30/05/2017 को लोक अ…लत के समक्ष उपस्थित रहें।

30/5/17

पत्रावली आज स्थाई लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" अभियान शिविर ओबरा कलां में पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। जो राजीनामा हेतु सहमत नहीं होने से प्रकरण को केम्प कोर्ट में लिया जाकर निस्तारण किया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद धारा 88, 188 का विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा धारा 188 का वाद दायर किया था एवं अप्रार्थी द्वारा भूमि अपने कब्जे में होना बता कर धारा 88 R.T. Act में जवाब दावा पेश किया है जो मामला जवाब दावा स्टेज पर विचाराधीन है। मूल वाद के निस्तारण से पूर्व भूमि के मौके व रेकर्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो इस हेतु उभय पक्ष को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः मौजा ओबरा कलां तहसील गोगुन्दा की आराजी नम्बर 3327 रकबा 0.0200 है भूमि के मौके एवं रेकर्ड की यथावत स्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला, उदयपुर

हरीशंकर
प्रार्थी
नि …
(पत्नी …)